File No.45/08/2017-FF(P)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Freedom Fighters & Rehabilitation Division
*****

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi – 110 001,
Dated, the 29 July, 2026.

To

Pr. Chief Controller of Accounts (Home),
Ministry of Home Affairs, MDCNS,
New Delhi-110001.

Subject: Grant of Dearness Relief to Central Freedom Fighter Pensioners w.e.f. 01.01.2026 -reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No.45/08/2017-FF(P) dated 12.11.2025 regarding 56% Dearness Relief to be paid to the freedom fighter pensioners w.e.f. 01.07.2025 and to say that recently Dearness Relief in respect of Central Government pensioners has been enhanced by 2% by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare O.M. No. 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475, dated 24.04.2026. Hence, the Dearness Relief admissible to the Freedom Fighter/spouse/daughter pensioners under the Swatantrata Sainik Samman Yojana (SSSY) shall be enhanced from the existing rate of 56% to 58% w.e.f. 01.01.2026. The revised amount of pension for various categories of pensioners after increase of 2% DR, i.e. total 58% Dearness Relief, will be as follows:

S. No.	Category of freedom fighters	Basic amount of pension (per month)	Enhanced amount of pension after adding 58% DR (per month) w.e.f. 01.01.2026
1.	Ex-Andaman Political prisoners/spouses	Rs.30,000/-	Rs.47,400/-
2.	Freedom fighters who suffered outside British India/spouses	Rs.28,000/-	Rs.44,240/-
3.	Other Freedom fighters/spouses including INA	Rs.26,000/-	Rs.41,080/-
4.	Dependent parents/eligible daughters (maximum 3 daughters at any point of time)	50% of the basic pension admissible to the primary freedom fighters at S. No. 1,2 & 3 respectively i.e., Rs. 15,000/-, Rs. 14,000/-, or Rs. 13,000/-	50% of the enhanced pension admissible to the primary freedom fighters at S. No. 1,2 & 3, respectively i.e., Rs. 23,700/-, Rs. 22,120/-, or Rs. 20,540/-

2. Further, it is also clarified that as per Policy Guidelines dated 06.03.2014, TDS is not applicable in respect of Central Samman Pension.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Ram Raj Meena)
Director
011-23438062

Copy forwarded for information and similar action to:

1. Chief Controller of Accounts, Central Pension Accounting Office (CPAO), Bhikaji Cama Place, Trikoot-II, Behind Hotel Hyatt Regency, New Delhi-110 066.
2. Chief Controller of Accounts (Pension and Misc.), 2/10, Jamnagar House, New Delhi- 110011.
3. The Accounts Officer, Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Lok Nayak Bhawan, New Delhi- 110003.
4. Chief Secretaries of all State Governments/UT Administrations.
5. CPPCs of all 23 authorized banks (list attached).
6. Private Secretary to Joint Secretary (FFR), MHA
7. All Officers and staff of Freedom Fighter Division, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.
8. PDMC, FFR Division, MHA.
9. IT Cell, MHA, Kartavya Bhavan-3 for uploading this letter on MHA's website in the Document in Public Domain of FFR Division.

Yours faithfully,

(Ram Raj Meena) 29/7/2026
Director
Tele No- 011-23438062

फाईल सं. 45/08/2017-एफ.एफ.(पी.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

द्वितीय तल, एन. डी. सी. सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 जुलाई, 2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह),
गृह मंत्रालय, एम. डी. सी. एन. स्टेडियम, नई दिल्ली-110001

विषय: केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों को 01.01.2026 से महँगाई राहत प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के पत्र संख्या 45/08/2017- एफ. एफ. (पी.) दिनांक 12.11.2025 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों को 01.07.2025 से 56% महंगाई राहत के भुगतान से संबंधित है, साथ ही, यह बताया जाता है कि हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 12.03.2026 द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। इसलिए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लाभार्थियों (स्वतंत्रता सेनानी/ पात्र आश्रित पति/पात्र आश्रित पत्नी/पात्र आश्रित बेटियाँ) के लिए स्वीकार्य महँगाई राहत को दिनांक 01.01.2026 से 56% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। 2% महंगाई राहत की वृद्धि अर्थात कुल 58% महँगाई राहत के पश्चात दिनांक 01.01.2026 से इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए पेंशन की संशोधित राशि निम्न प्रकार होगी:

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (प्रति माह)	58 प्रतिशत महंगाई राहत जोड़ने के बाद संशोधित पेंशन (01.01.2026 से लागू होगा)
1.	पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी/ पति या पत्नी	₹30,000/-	₹47,400/-
2.	स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश भारत के बाहर पीड़ित थे / पति या पत्नी	₹28,000/-	₹44,240/-
3.	INA (आज़ाद हिंद फ़ौज) सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/पति या पत्नी	₹26,000/-	₹41,080/-
4.	आश्रित माता-पिता / पात्र बेटियाँ (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियाँ)	प्राथमिक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मूल पेंशन का 50% (क्रम सं. 1, 2 और 3 पर क्रमशः ₹15,000/-, ₹14,000/- या ₹13,000/-)	प्राथमिक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्रम सं. 1, 2 और 3 पर स्वीकार्य बढ़ी हुई पेंशन का 50% (क्रमशः ₹23,700/-, ₹22,120/- या ₹20,540/-)

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नीति दिशानिर्देश दिनांक 06.08.2014 के अनुसार, केंद्रीय सम्मान पेंशन के संबंध में TDS लागू नहीं होता है।

3. यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(राम राज मीना)

निदेशक (नीति)

दूरभाष: 011-23438062

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO), भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-II, होटल हयात रीजेंसी के पीछे, नई दिल्ली-110 066.
2. मुख्य लेखा नियंत्रक (पेंशन एवं विविध), 2/10, जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110011.
3. लेखा अधिकारी, महानियंत्रक लेखा का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003.
4. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
5. सभी 23 अधिकृत बैंकों के CPPC (सूची संलग्न)।
6. संयुक्त सचिव (FFR), गृह मंत्रालय के निजी सचिव।
7. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, NDCC-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।
8. PDMC, FFR प्रभाग, गृह मंत्रालय।
9. आईटी सेल, गृह मंत्रालय, कर्तव्य भवन-3 –स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग के सार्वजनिक डोमेन के अंतर्गत गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इस पत्र को अपलोड करने हेतु।

भवदीय,

(राम राज मीना) 29.7.2

निदेशक (नीति)

दूरभाष: 011-23438062